दिनेश कुमार

बनाम

राजस्थान राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 1215)

4 अगस्त, 2008

[न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत और न्यायमूर्ति डॉ. मुकुंदकम शर्मा]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302, 307, 324, 148, 452, 323 सपठित धारा 149 -उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता अभियुक्त की सजा की पुष्टि करते हुए अन्य चार अभियुक्तों को बरी किया गया - अभिनिर्धारित किया गया कि - यदि अभियुक्त के खिलाफ ठोस, विश्वसनीय व स्पष्ट साक्ष्य पाए जाते हैं तो अभियुक्त को दोषसिद्ध माना जा सकता है भले ही प्रकरण के सह अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो।

साक्ष्यः

संबंधित गवाहों की गवाही - अभिनिर्धारित किया गयाः केवल मात्र इस आधार पर कि गवाहों का मृतक से संबंध होने से उनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता यदि उनकी साक्ष्य स्पष्ट, ठोस एवं विश्सनीय हो - तथ्यों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा घायल एवं अन्य चश्मदीद गवाहों

की गवाही का विश्लेषण किया गया व उनकी गवाही को ठोस एवं विश्सनीय पाया गया - दंड संहिता, 1860 - धारा 302, 307, 324, 148, 452, 323 सपठित धारा 149।

अपीलकर्ता व अपीलकर्ता के साथ अन्य चार व्यक्तियों को धारा 302, 307, 324, 148, 452, 323 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध कारित करने का अभियोजन चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी पक्ष और शिकायतकर्ताओं के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी। घटना की रात करीब 11 बजे आरोपीगण घातक हथियारों से लेस पीड़ितों के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। आरोपी अपीलकर्ता ने पीड़ितों में से एक के पेट में अपनी तलवार भेद दी, जिस घायल की अस्पताल में चोटों के कारण मौत हो गई। यह कहा गया कि अन्य सह अभियुक्तों द्वारा भी पीड़ितों के गंभीर चोटें कारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पांचों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया गया। उच्च न्यायालय द्वारा चार आरोपियों को बरी कर दिया गया लेकिन अपीलकर्ता के संबंध में अपील खारिज कर दी।

दोषी द्वारा प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील में, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा चार लोगों को बरी कर दिया गया था। इस स्थिति में उसकी सजा को बरकरार नहीं रखना चाहिए, खासकर तब जब गवाह संबंधित थे।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया

1. इस बिंदु पर कानून सुस्थापित है कि भले ही सह अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया गया हो कि उनके विरूद्ध प्रकरण बढ़ा चढ़ा कर व बनावटी प्रस्तुत किया गया हो, किंतु अन्य अभियुक्त जिसके विरूद्ध ठोस, विश्वसनीय एवं स्पष्ट सबूत पाए गए है उन्हें दोषसिद्ध माना जा सकता है। (पैरा 6)

2.1 किसी साक्ष्य की गवाही केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि गवाह व मृतक में कोई संबंध था। कानून में घायल की गवाही को महत्व दिया गया है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन गवाह 7 व 13 घायल साक्ष्य थे व अभियोजन गवाह- 10 चश्मदीद गवाह व सूचनाकर्ता था। जब चश्मदीद गवाह को अभियुक्तों के प्रति रूचि रखने वाले व शत्रुता रखने वाले बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकलना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और किसी निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। साक्ष्य की सत्यता या अन्यथा को व्यावहारिक रूप से तौल कर देखना चाहिए। न्यायालय को संबंधित गवाहों या अन्य वह गवाह जो कि अभियुक्त से शत्रुता रखते हैं कि साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा। लेकिन अगर उनके साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जांच पश्चात्, गवाह द्वारा दिया गया संस्करण स्पष्ट, ठोस और

विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। (पैरा 6)

2.3 हस्तगत प्रकरण में, विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन गवाह 7, 10 व 13 का विस्तार से विश्लेषण किया गया। यह उजागर हुआ है कि, अपीलकर्ता ने मृतक के पेट में तलवार से पहला वार किया था और वह जमीन पर गिर गया। अपराध में इस्तेमाल की गई तलवार अपीलकर्ता के कहे अनुसार बरामद की गई जिस पर लगे रक्त के निशान व मृतक का रक्त समूह दोनों एक ही पाए गए। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अपराध में सह अभियुक्तों की क्या भूमिका रही स्पष्ट नहीं होने से संतोषप्रद नहीं है। उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। (पैरा 6)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1215/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के दिनांक 14.05.2007 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरूद्ध जो कि 2002, की डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 176 में पारित किया गया था।

विजय सिंह चरक (ए.सी.) अपीलकर्ता की ओर से ।

अरुणेश्वर गुप्ता, नवीन कुमार सिंह और शाश्वत गुप्ता प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत,** के द्वारा पारित किया गया।

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. अनुमति दी गई।

3. इस अपील के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की खंड पीड़ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें धारा 302, 307, 324, 148, 452 तथा धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता, 1860, (संक्षिप्त में भा.द.सं.) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की सजा को बरकरार रखा गया था। कुल मिलाकर, पांच व्यक्तियों के विरूद्ध विचारण किया गया। चार अन्य लोगों द्वारा दायर अपील का स्वीकार करते हुए उनमें से प्रत्येक के संबंध में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149, धारा 307 सपठित धारा 149, धारा 324/149, धारा 148/ 452 व धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता को आजीवन कारावास और अदायगी की शर्तों के साथ जुर्माना भरते तथा अन्य अपराधों के संबंध में दस साल, एक साल, दो साल और छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई।

4. विचारण के उद`भव से संबंधित पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है किः

सूचना देने वाला सुरेश कुमार (पी.डब्ल्यू.- 10) पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा में दिनांक 08.04.2001 को सुबह लगभग 3 बजे एक लिखित रिपोर्ट (ई.एक्स पी. 5) पेश की जिसमें यह बताया गया कि उसका घर केशव नगर, कोटा में स्थित है, और उसके घर के सामने बाबूलाल नाई भी रहता है। उन दोनों के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी और पहले भी कई बार उनमें झगड़ा हो चुका था। दिनांक 07.04.2001 को लगभग 11 बजे जब सूचना देने वाला और उसके परिवार के सदस्य घर का दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहे थे, तभी बाबूलाल नाई अपनी पत्नी श्रीमति गीता और बेटे दिनेश, सत्तू उर्फ सत्यनारायण और सोनू उर्फ सुनील व श्रीमती निर्मला पत्नी श्री दिनेश के साथ घातक हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। सूचना देने वाला के पिता चित्रलाल (जिन्हें बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) ने आरोपियों से पूछताछ की कि वह घर में क्यों घुसे हैं। इस पर बाबूलाल नाई व उसकी पत्नी श्रीमती गीता ने आरोपियों को उन्हें खत्म करने के लिए उकसाया। बाबूलाल नाई ने चित्रलाल के पेट पर चोट पहुंचाई। उमा शंकर और सूचना देने वाला सुरेश कुमार, चित्रलाल को बचाने के लिए दौड़े।सत्यनारायण ने चित्रलाल के सर पर लौहे की रोड से वार किया। दिनेश और सत्यनारायण ने उमा शंकर और विनोद के चाकू से चोट कारित की; जब कि निर्मला पत्नी दिनेश और श्रीमती गीता पत्नी

बाबूलाल और सोनू उर्फ सुनील ने उसके पिता और भाई को लाठियों और लौहे की रोड से चोटें कारित की। चित्रलाल और उमा शंकर मौके पर ही बेहोश हो गए। शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी भी वहां पर एकत्रित हो गए। घायल उमाशंकर और चित्रलाल को अस्पताल ले जाया गया। चित्रलाल ने चोटों के कारण दम ताेड़ दिया जब कि घायल उमा शंकर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147, 148, 149, 302, 307, 452 व 323 भा.द.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया और अनुसंधान शुरू की गई। अनुसंधान पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। यथासमय में, यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2 (फास्ट ट्रेक), कोटा के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत हुआ। अपीलकर्ता और अन्य सह अभियुक्तों के खिलाफ धारा 148, 452, 302 या 302/149, 307 या 307/149, 323 या 323/149 भा.द.सं. के तहत आरोप विरचित किए गए, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही गई। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 18 गवाहों को परिक्षित करवाया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षिप्त में द.प्र.सं.) की धारा 313 के तहत अपने स्पष्टीकरण में अपीलकर्ता और अन्य सह अभियुक्तों ने निर्दोष होने का दावा किया। अपीलकर्ता - दिनेश ने अंतर्गत धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वयं को डी.डब्ल्यू 1 के रूप में परिक्षित करवाया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमुख बचाव यह उठाया गया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी जिस कारण से गलत रूप से झूठा

फंसाया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में अपीलार्थी पर शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा हमला किया गया और जिससे उन्हें भी चोट आई थी और उनके द्वारा भी क्रोस केस दर्ज करवाया गया था।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उपरोक्त वर्णित सजा सुनाई गई।

अपील में अपने पक्ष को दोहराया गया उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया कि कुछ हद तक दूसरों के संबंध में प्रकरण बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था, किंतु चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू 7, 10 और 13 की साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस होने से अपीलकर्ता की हद तक उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज किया गया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब चार व्यक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, तो अपीलकर्ता की सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए, खासकर जब वे संबंधित हो। दूसरी ओर प्रतिवादी - राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पी.डब्ल्यू 7 व 13 घायल गवाह थे और पी.डब्ल्यू 10 एक अन्य चश्मदीद गवाह व सूचना देने वाला गवाह था। इस बिंदु पर कानून काफी अच्छी तरह से सुस्थापित है कि भले ही सह अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया गया हो कि उनके विरूद्ध

प्रकरण बढ़ा चढ़ा कर व बनावटी प्रस्तुत किया गया हो, किंतु अन्य अभियुक्त जिसके विरूद्ध ठोस, विश्वसनीय एवं स्पष्ट सबूत पाए गए है उन्हें दोषसिद्ध माना जा सकता है। केवल इस आधार पर की गवाह मृतक से संबंधित है उनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। कानून में खासकर घायल गवाह की गवाही को महत्व दिया गया है। जब चश्मदीद गवाह को अभियुक्तों के प्रति रूचि रखने वाले व शत्रुता रखने वाले बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और किसी निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। साक्ष्य की सत्यता या अन्यथा को व्यावहारिक रूप से तौल कर देखना चाहिए। न्यायालय को संबंधित गवाहों या अन्य वह गवाह जो कि अभियुक्त से शत्रुता रखते हैं, कि साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा। लेकिन अगर उनके साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पश्चात् यदि गवाह द्वारा दिया गया संस्करण स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में, विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने अभियोजन गवाह 7, 10 व 13 का विस्तार से विश्लेषण किया गया। यह उजागर हुआ है कि, अपीलकर्ता ने मृतक के पेट में तलवार से पहला वार किया था और वह जमीन पर गिर गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने पाया कि दूसरों को दी गई भूमिका पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं है। अपीलकर्ता की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल की गई तलवार बरामद की गई व

विधि विज्ञान प्रयोगशला के प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 28 के अनुसार तलवार पर लगे खून के निशान व मृतक का रक्त समूह दोनों एक ही होना पाया गया। पी.डब्ल्यू. 7 के कथनानुसार जब उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, तो मृतक ने उस पर भी वार किया और उसे तेज धार वाले हथियार जो कि तलवार थी, से चोट लगी। उसके मुताबिक आरोपी द्वारा उसकी गर्दन पर तलवार से वार किया जिससे वह गिर पड़े। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें भी मृतक व मृतक के बच्चों के हाथों चोटें लगी थी, जिस संबंध में विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा यह सही रूप से कहा गया है कि वे मात्र सतही चोटें थीं व चिकित्सक के मतानुसार स्वयं कारित भी की जा सकती थी।

7. उपरोक्त स्थिति अनुसार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिग्विजय देथा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।